

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र रावतसर

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. ठाकराराम पुत्र लूम्बाराम 2 तेजाराम पुत्र लूम्बाराम 3 फूसाराम पुत्र लूम्बाराम 4 बालाराम पुत्र बुधराराम 5 वीरमाराम पुत्र भैराराम 6 रेखाराम पुत्र भैराराम 7 हुकमाराम पुत्र भैराराम जातियान जाट निवासीयान प्रेमसागर रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर		1.रावताराम पुत्र भोमाराम 2 पूराराम पुत्र धर्माराम 3 गैरों पत्नी खेमाराम 4 मूलाराम पुत्र नाथाराम 5 हरजीराम पुत्र हीराराम 6 विरधाराम पुत्र हीराराम 7 हरवंदराम पुत्र चुतराराम 8 कौशलाराम पुत्र चुतराराम 9 पोकसाराम पुत्र चुतराराम 10 जोराराम पुत्र भगवानाराम 11 थानाराम पुत्र भगवानाराम 12 तुलछाराम पुत्र हनुमानराम 13 बालाराम पुत्र पेमाराम 14 पूराराम पुत्र खेराजराम 15 दीपाराम पुत्र खेराजराम 16 वीराराम पुत्र खेराजराम 17 गैरों पत्नी खेराजराम जातियान जाट निवासीयान प्रेमसागर 18 ममी पत्नी प्रेमगिरी 19 मोहनगिरी पुत्र चूनगिरी 20 शंभूगिरी पुत्र चूनगिरी 21 गैरा पत्नी चूनगिरी 22 दीपगिरी पुत्र प्रेमगिरी जातियान स्वामी निवासीयान प्रेमसागर तहसील एवं जिला बाड़मेर 23 सरपंच ग्राम पंचायत रावतसर 24 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-354/2019 दिनांक-08.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रेमसागर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1594/402 रकबा 56.12 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगड़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



क्रमांक/रीडर/2021/6218-6221

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी ठाकराराम पुत्र लूम्बाराम वगैराह जाति जाट निवासी प्रेमसागर रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण रावताराम पुत्र भोमाराम वगैराह जाति जाट निवासी प्रेमसागर रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 08/11/2021

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर